शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

13-14, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.) अध्यक्ष मो. 9414308305 | बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9001195384 | दयानन्द सक्करवाल कोषाध्यक्ष मो. 9634418411 | जी.एल. वर्मा महासचिव मो. 9829688869

क्रमांक: DrAMWS/2025/GS/2205 दिनांक : 20.11.2025

सूचना

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर (आगे से सोसायटी से संबोधन) संशोधित विधान 2013 में सदस्यता एवं मतदाता संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है:

अनुच्छेद (5) सदस्य - अनुसूचित जाति का हर व्यक्ति पुरुष एवं महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष या उपर हो तथा सोसायटी के लक्ष्य एवं उद्देश्य से सहमत हो, सोसायटी का सदस्य बनने का पात्र होगा। जिला स्तरीय शाखा और अन्य शाखाओं की सदस्यता अलग अलग होगी, लेकिन इन शाखाओं के आजीवन/संरक्षक सदस्य केंद्रीय कार्यसमिति के भी सदस्य होंगे। बशर्ते कि **ऐसे सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क** की 25 प्रतिशत राशि केंद्रीय कार्यसमिति को भिजवाई गई हो।

अनुच्छेद (6) सदस्यता की समाप्ति:

(1) मृत्यु होने पर,

(2) सदस्यता से त्यागपत्र देने पर,

(3) निष्कासन, (1) यदि उसे बेईमानी या नैतिक चरित्रहीनता के अपराध में दण्ड मिला हो। (2) यदि वह जानबूझकर ऐसे कार्य करे जिनसे संस्था के हितों को नुक़सान होने की संभावना हो। (3) पागल होने पर। (4) उपनियम 16(6) के प्रावधानों का उलंघन करने पर:

उपनियम 16(6): जिला स्तरीय व अन्य कार्यकारिणी अथवा कोई सदस्य केंद्रीय कार्यसमिति की पूर्व अनुमति के बिना संस्था की परिसंपत्ति पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य मूर्ति स्थापना कार्य या अन्य स्थाई प्रकार का कार्य नहीं करवा सकेंगे। ऐसा कार्य जिला स्तरीय अथवा अन्य शाखाओं की वैध कार्यकारिणी (केंद्रीय कार्य समिति से अधिकृत) ही केंद्रीय कार्य समिति की पूर्व अनुमति से करवा सकेगी। ऐसे कार्यों के

निर्माण हेतु राशि संग्रहण केवल निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिवस एवं निर्माण दिवस का आयोजन अथवा कोई भी अन्य आयोजन संस्था प्रांगण में केंद्रीय कार्य समिति अथवा शाखा की निर्वाचित कार्यकारिणी ही कर सकेगी। किसी भी सदस्य ने इन प्रावधानों का उल्लंघन किया तो अप नियम 6 के अंतर्गत उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी

अनुच्छेद (10) चुनाव
(क) केंद्रीय कार्यसमिति :- मत देने का अधिकार प्रदेश स्तर के सदस्यों का होगा।
(ड) प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा तथा **पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा।**

आगामी केंद्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीयों के निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्ण चुनाव हेतु श्री जेपी विमल आईएएस सेनि को सोसायटी पत्र क्रमांक DrAMWS/2025/GS/2176 दिनांक 23.09.2025 द्वारा सोसायटी विधान अनुच्छेद (10) चुनाव (घ) की अनुपालना में चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था।

वर्तमान केंद्रीय कार्यसमिति को पूर्व केंद्रीय कार्यसमिति पदाधिकारीयों से दिनांक 15.11.2022 तक की सदस्यता सूची और मतदाता सूची बार बार अनुरोध पश्चात् भी प्राप्त नहीं हुई थी। अतः सोसायटी के कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा से सदस्यता सूची और मतदाता सूची का पुनर्निर्माण किया गया था।

चुनाव अधिकारी श्री जेपी विमल ने सोसायटी महासचिव को पत्र क्रमांक चुनाव/2025/07 दिनांक 06.10.2025 लिखा, जो निम्नलिखित हैं:

“केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव की बैठक दिनांक 05.10.2025 को लिए गए निर्णयानुसार डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के विगत केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव 2022 तक मतदाता सूची तमाम तरह के संशोधन सहित जैसे: नाम जोड़ने **एवं अन्य आपत्तियों जो सोसायटी में प्रस्तुत हुई है उनका निस्तारण**

करते हुए दिनांक 30.10.2025 तक प्रस्तुत की जावे ताकि आगामी चुनाव हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके"।

चुनाव अधिकारी श्री जेपी विमल ने पत्र क्रमांक चुनाव 2025/17 दिनांक 07.10.2025 द्वारा महासचिव, सोसायटी को जो आदेश जारी किए गए थे, वो निम्नलिखित हैं:

डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के केंद्रीय चुनाव वर्ष 2022 के लिए मतदाता सूची में सभी संशोधन किए जाकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, जिसके उपरांत चुनाव संपन्न करवाए गए। **उक्त मतदाता सूची अधिकृत होने के कारण उसकी एक प्रति चुनाव समिति को उपलब्ध करावे।**

चुनाव अधिकारी ने पत्र क्रमांक 7 द्वारा केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव 2022 में प्रयोग में ली गई मतदाता सूची को अद्यतन करने हेतु लिखा, परंतु बिना किसी विशेष कारण बताए ही पत्र क्रमांक 17 द्वारा केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2022 में प्रयोग में ली गई मतदाता सूची को अधिकृत घोषित कर दिया।

उपरोक्त पत्र क्रमांक 7 एवं 17 के क्रम में सोसायटी महासचिव द्वारा श्री जेपी विमल को पत्र क्रमांक:DrAMWS/2025/GS/2114 दिनांक 14.10.2025 द्वारा निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत किया गया:

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिनांक 12.10.2025 को केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025 की चुनाव समिति की बैठक में मतदाता सूची पर चर्चा हुई और महासचिव को दिनांक 30.10.2025 को चुनाव समिति को मतदाता सूची उपलब्ध करवाने हेतु निर्णय हुआ।

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.) अध्यक्ष मो. 9414308305
बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9001195384
दयानन्द सक्करवाल कोषाध्यक्ष मो. 9634418411
जी.एल. वर्मा महासचिव मो. 9829688869

उपरोक्त कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2022 के चुनाव में प्रयोग ली गई मतदाता सूची पर गंभीर आपत्तियां प्राप्त हुई थी और उन पर सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।

यहां तक कि कुछ मुकदमे माननीय न्यायालयों में भी लंबित है और उनमें वर्ष 2022 के केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव में प्रयोग में ली गई मतदाता सूची पर भी विवाद है, **अतः उक्त मतदाता सूची अधिकृत मतदाता सूची नहीं है** ।

अतः दिनांक 30.10.2025 को आपको केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025 हेतु अधिकृत मतदाता सूची अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सोसायटी विधान अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी।

उपरोक्त पत्र क्रमांक 17 के क्रम में सोसायटी महासचिव द्वारा श्री जेपी विमल को पत्र क्रमांक:DrAMWS/2025/GS/2160 दिनांक 31.10.2025 द्वारा निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत किया गया:

उपरोक्त विषय में लेख है कि केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2022 में उपयोग में ली गई मतदाता सूची में 11630 ऐसे सदस्य थे जिनकी अजमेर जिले के वर्ष 2022 में जोड़ें गये सदस्यों की सदस्यता राशि अजमेर जिले के बैंक खाते में नहीं पाई गई, इस कारण महासचिव जी एल वर्मा द्वारा थाना गांधीनगर, जयपुर में तत्कालीन अजमेर जिला अध्यक्ष श्री देशराज मेहरा एवं अन्य के विरुद्ध एफआईआर संख्या 0388 दिनांक 12.08.2023 को दर्ज़ करवाई गई थी।

जांच के दौरान तत्कालीन अजमेर जिला अध्यक्ष श्री देशराज मेहरा द्वारा यह सूचित किया गया कि उसने उपरोक्त 11630 सदस्य जो अजमेर में जोड़ें गये थे, उनसे किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की है। श्री देशराज

मेहरा ने इन 11630 सदस्यों से संबंधित सभी खाली रसीद बुकों को पुलिस में जमा करवा दिया है।

अतः यह सभी 11630 पूर्व सदस्य आगामी चुनाव वर्ष 2025 में मतदान करने हेतु अपात्र एवं अयोग्य हो गये है, अतः सक्षम स्तर द्वारा निर्णय करके उपरोक्त सभी 11630 सदस्यों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
अतः अजमेर जिले की उपरोक्त 11630 सदस्यों को मतदाता सूची में से हटाने के पश्चात शेष रहे 3262 मतदाताओं की अजमेर जिले की सूची एवं ब्यावर ज़िले के 933 सदस्यों की अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित मतदाता सूचियां इस पत्र के साथ संलग्न है। श्री जसवन्त सम्पतराम, अध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर अपने परिवार में मेडीकल इमरजेंसी के कारण आज कार्यालय में नहीं आ सके हैं, परंतु इन सूचियों पर उनकी मोबाइल फोन पर मौखिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

अतः इस पत्र के साथ संलग्न मतदाताओं की सूचियां को ही अजमेर एवं ब्यावर जिले की अधिकृत मतदाता सूची माना जाए।

अजमेर एवं ब्यावर ज़िले सहित पूरे राजस्थान की मतदाता सूची केंद्रीय कार्यसमिति चुनाव वर्ष 2025 में प्रयोग लेने हेतु आपको शीघ्र ही प्रेषित कर दी जाएगी।

चुनाव अधिकारी श्री जेपी विमल ने सोसायटी अध्यक्ष , वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष को पत्र क्रमांक चुनाव/2025/73-75 दिनांक 31.10.2025 लिखा, जो निम्नलिखित हैं:

"डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के केंद्रीय चुनाव समिति की अतिआवश्यक बैठक दिनांक 01.11.2025 को अपराह्न 2.00 बजे आहूत की गयी है जिसमें डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के अध्यक्ष,

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com

सोशल मीडिया से जुडे
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित होवें एवं सोसायटी के आम चुनाव 2025 में प्रयोग लाई जाने वाली सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अद्यतन मतदाता सूची 2025 भी साथ में लाना सुनिश्चित करें"।

उपरोक्त पत्र क्रमांक 17 एवं 73-75 के क्रम में सोसायटी महासचिव द्वारा श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी को पत्र क्रमांक:DrAMWS/2025/GS/2165 दिनांक 01.11.2025 द्वारा निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत किया गया:

उपरोक्त विषय में लेख है कि, उपरोक्त पत्र द्वारा सूचित हुआ है कि मतदाता सूची विषय पर दिनांक 01.11.2025 को एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आप द्वारा आगामी चुनाव में प्रयोग में लाई जाने वाली सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अद्यतन मतदाता सूची चाही गई है। उपरोक्त सूचि तैयार की जा रही है जिसको अंतिम रूप प्रदान करने में आ रही कठिनाइयों से आपको पूर्व में भी विभिन्न पत्रों द्वारा अवगत कराया जा चुका है। मतदाता सूची को अद्यतन करने में आ रही कुछ बाधाएं निम्नानुसार है:

पुराने चुनाव एवं उसमें प्रयोग में ली गई मतदाता सूची को लेकर विभिन्न न्यायालयों में कई वाद लंबित है, अतः अंतिम और अद्यतन की जा रही मतदाता सूची को सोसायटी के वकील से अनुमोदित करवाना आवश्यक है जिससे कि आगे किसी कानूनी विवाद से बचा जा सके।

वर्ष 2022 में अजमेर में 11630 सोसायटी सदस्य बिना सदस्यता शुल्क प्रदान किए हुए ही बन गये थे और सदस्यता फॉर्मों को जमा करवाने वाले व्यक्ति ने यह लिखित में दिया कि उसने किसी भी सदस्य से सदस्यता शुल्क प्राप्त नहीं किया था। साथ ही यह भी सूचित किया कि सदस्यता की कुछ राशि उसने दानदाताओं से प्राप्त की थी। इस संदर्भ में माननीय उच्च

न्यायालय राजस्थान जयपुर में सिविल रिट याचिका वर्ष 2022 में दायर हुई थी जिसका फैसला आना अभी बाकी है। पिछले कुछ दिनों में भी कुछ व्यक्तियों द्वारा अकेले सैकड़ों की संख्या में सदस्यता फॉर्म जमा करवाए गए हैं, जो कि इस कार्य हेतु अधिकृत भी नहीं थे।

पिछले कुछ दिनों में भी कुछ व्यक्तियों ने तो सोसायटी बैंक खाते में लाखों रुपए नगद भी जमा करवा दिए, एक व्यक्ति ने लाखों रुपए अपने निजी बैंक खाते से सोसायटी के बैंक खाते में ट्रांसफर करवा दिए।

यह वर्ष 2022 में सदस्यता अभियान में सदस्यता शुल्क को लेकर हुई अनियमितताओं की पुनरावृत्ति जैसा प्रतीत हो रहा है। कोई भी व्यक्ति लाखों रुपए नगद में सोसायटी के नाम से प्राप्त करने हेतु अधिकृत नहीं है, पुरानी रसीद बुकों पर भी नगद राशि प्राप्त करना प्रतिबंधित है इसलिए यह उचित समझा गया कि उपरोक्त धनराशि को सोसायटी के बैंक खाते में समायोजित करने से पूर्व सोसायटी के लेखा परिक्षक से लिखीत में अनुशंसा प्राप्त की जाए, आगे की कार्यवाही लेखा परिक्षक की की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है।

पिछले कुछ दिनों में कुछ सदस्यता फार्मों के साथ प्रतिबंधित रसीद बुकें भी प्राप्त हुई है और अनाधिकृत व्यक्तियों ने अनाधिकृत रसीद बुकों पर सदस्यता शुल्क नक़द में प्राप्त कर लिया है। कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल बार बार अनुरोध के बाद भी यह सूचना प्रदान नहीं कर रहे हैं कि दिनांक 16.11.2022 से अब तक किन किन व्यक्तियों को कब कब रसीद बुकें जारी (Issue) की गई थी और पुराने सदस्यता फार्म किन किन व्यक्तियों को प्रदान किए थे और कितनी धनराशि प्राप्त की थी और उस धनराशि को सोसायटी बैंक खाते में कब जमा करवाया था।

चुनाव अधिकारी पत्र क्रमांक चुनाव/2025/09 दिनांक 06.10.2025 द्वारा महासचिव से सोसाइटी की दिनांक 16.11.2022 से दिनांक 06.10.2025 तक की उपयोग

Glvarma

में ली गयी रसीद बुकें मय ब्योरा व अनुपयोगी रसीद बुकों का विवरण दिनांक 30.10.2025 तक चुनाव अधिकारी को उपलब्ध करवाने के निर्देश प्रदान किए थे और उपयोग में ली गई रसीदों का नवीन मतदाता सूची में समावेश करना सुनिश्चित करने हेतु भी महासचिव को निर्देशित किया था। **परन्तु बड़े खेद के साथ यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त डाक्यूमेंट्स कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल के पास है जिन्हें चुनाव अधिकारी एवं महासचिव को उपलब्ध नहीं कराया गया है।**

कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल ने अध्यक्ष एवं महासचिव से पिछले तीन सालों में केश बुक में कभी भी हस्ताक्षर नहीं करवाए और ना ही उनके अवलोकन हेतु प्रस्तुत की। सदस्यता प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सदस्यता शुल्क की धनराशि केश बुक में समायोजित कर ली गई है। अतः कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल से बार बार अनुरोध किया है कि केश बुक की प्रमाणित प्रति महासचिव को आगे की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाएं।

उपरोक्त कारणों से मतदाता सूची आज़ उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो सका है। आशा है कोषाध्यक्ष श्री दयानंद सक्करवाल से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा और मतदाता सूची जल्दी ही तैयार हो जाएगी।

उपरोक्त पत्र जारी करने से पूर्व सोसायटी में सक्षम स्तर पर अन्य विषयों के अलावा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा और निर्णय हुए।

तत्कालीन अजमेर जिले के वर्ष 2022 के उपरोक्त 11630 व्यक्तियों के सदस्यता शुल्क के रूप में श्री देशराज मेहरा द्वारा जो धनराशि दिनांक

31.07.2022 को सोसायटी केंद्रीय कार्यालय जयपुर में जमा करवाए थी वो धनराशि उन व्यक्तियों/ आवेदकों से प्राप्त नहीं की थी और भामाशाहों से सदस्यता शुल्क प्राप्त करके जमा कराई गई थी, जबकि सोसायटी विधान अनुसार सदस्यता शुल्क केवल सदस्यता लेने के इच्छुक व्यक्तियों से ही प्राप्त की जा सकती है।

अतः उपरोक्त 11630 आवेदकों में से किसी ने भी नियमानुसार किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क जमा नहीं करवाया था।

सोसायटी विधान अनुसार कोई भी सोसायटी सदस्य पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा, परंतु तत्कालीन अजमेर जिले के उपरोक्त 11630 व्यक्तियों ने पूर्ण सदस्यता आज़ तक भी नियमानुसार सोसायटी में जमा नहीं करवाएं है। अतः उपरोक्त सभी 11630 व्यक्ति स्वत ही आगामी चुनाव वर्ष 2025-26 में मतदान करने हेतु अयोग्य हो गये है और इनका नाम वर्ष 2025-26 के चुनाव में प्रयोग की जाने वाली मतदाता सूची से हटाना विधि सम्मत है।

उपरोक्त 11630 में से कुछ व्यक्तियों से पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि उन्होंने तो सदस्यता फार्म नहीं भरें है और उनके दस्तावेजों का गैर कानूनी रूप से प्रयोग करके बिना उनकी सहमति के ही अनाधिकृत व्यक्तियों ने सदस्यता फार्म भरकर जमा करवा दिए हैं।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि सोसायटी विधान अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति सोसायटी का सदस्य भी अगर है तो वो व्यक्ति

नियमानुसार पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराने पर ही मत देने के लिए अधिकृत होगा।

लोकतंत्र में हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची का अद्यतन होता है। इसी क्रम में चुनाव अधिकारी के पत्र क्रमांक चुनाव/2025/07 दिनांक 06.10.2025 की पालना में जो सदस्य सोसायटी विधान अनुसार मतदान करने के अयोग्य थे, उन्हें सोसायटी पत्र क्रमांक:DrAMWS/2025/GS/2165 दिनांक 03.11.2025 द्वारा मतदाता सूची से बाहर करने की सूचना जारी की गई। पत्र का प्रारूप निम्नलिखित है:

कार्यालय आदेश

श्री देशराज मेहरा, तत्कालीन अजमेर जिला अध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान ने वर्ष 2022 में कुल 11630 व्यक्तियों के भरे हुए सदस्यता फार्म और रूपए 1279300/- सोसायटी के केंद्रीय कार्यालय, जयपुर में जमा करवाए थे। परन्तु अजमेर जिले के सोसायटी के बैंक खाते में आवश्यक रूपए 3489000/- नियमानुसार नहीं पाए गए। श्री देशराज मेहरा को एवं अन्य को बार-बार अनुरोध करने पर भी रूपए 3489000/- का लेखा-जोखा केंद्रीय कार्यालय, जयपुर को उपलब्ध नहीं करवाया। इस कारण महासचिव गणपत लाल वर्मा द्वारा देशराज मेहरा एवं अन्य के विरुद्ध अधिनियम भा द सं 1860 की धारा 420, 406 एवं 120-B के अंतर्गत थाना गांधी नगर, जयपुर शहर पूर्व, पुलिस आयुक्तालय जयपुर, राजस्थान में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करवाई थी। पुलिस तफ्तीश के दौरान देशराज मेहरा द्वारा सोसायटी के केंद्रीय ईकाई के कार्यालय जयपुर से जो कुल 13000 रसीदें प्राप्त की थी उनको बिना काम में लिए कुल 13000 रसीदें पुलिस को पेश की जिनको नियमानुसार जरिए फर्द जब्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया। पुलिस तफ्तीश के अनुसार डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान केंद्रीय कार्यालय जयपुर से डॉ अम्बेडकर मेमोरियल

वेलफेयर सोसायटी राजस्थान के अजमेर जिला अध्यक्ष देशराज मेहरा द्वारा समाज में सोसायटी के सदस्य बनाने के लिए फार्म व रसीद बुक लेकर गया था लेकिन देशराज मेहरा द्वारा सदस्य बनाने के लिए अजमेर जिले में समाज के सदस्यों के फार्म भरे थे लेकिन किसी भी सदस्य से सदस्यता शुल्क नहीं लिया गया और किसी भी व्यक्ति की पैसों की रसीद नहीं काटी गई। देशराज मेहरा के द्वारा फार्मों के जो पैसे डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान के केंद्रीय कार्यालय जयपुर में जमा करवाए थे वह पैसा अजमेर जिले के समाज के भामाशाहों के द्वारा दिए गए थे।

अतः मुकदमा हाजा में पुलिस द्वारा अंतिम प्रपत्र एफ आर नंबर 102/2025 दिनांक 31.10.2025 स्वीकृति हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2025 को स्वीकार कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त 11630 सदस्य जिनके फ़ार्म दिनांक 31/07/2022 को संलग्न रसीद बुकों की डिटेल्स के अनुसार देशराज मेहरा द्वारा डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान केंद्रीय कार्यालय जयपुर में जमा करवाए थे वो उचित सदस्यता शुल्क डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान को प्राप्त नहीं होने के कारण सदस्यता हेतु अयोग्य हो गये है। अतः उपरोक्त 11630 फार्म में शामिल सदस्यों की डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर की सदस्यता समाप्त की गई है एवं इनके नाम सदस्यता सूची से हटाए गए हैं, अतः उपरोक्त 11630 सदस्य डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान में किसी पद पर निर्वाचन हेतु अयोग्य हो गये है और किसी भी चुनाव में इनके मत देने हेतु भी अयोग्य हो गये है, अतः उपरोक्त 11630 सदस्य न तो सोसायटी में चुनाव में प्रत्याशी बन सकते हैं और न ही चुनाव में मतदान कर सकते हैं।

इस आदेश की सूचना विभिन्न समाचार माध्यमों से अजमेर जिले सहित राजस्थान के सभी सोसायटी सदस्यों को सार्वजनिक की गई, परंतु उपरोक्त 11630 सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति ने आज तक भी इस आदेश पर आपत्ति दर्ज़ नहीं करवाई।

अतः सोसायटी वर्ष 2022 की मतदाता को अद्यतन करने पश्चात् (अजमेर के उपरोक्त 11630 सदस्यों को मतदाता सूची से हटाने पश्चात्) सोसायटी पत्र क्रमांक द्वारा श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी को राजस्थान के समस्त 41 जिलों के कुल 59199 व्यक्तियों की सोसायटी की मतदाता सूची प्रदान की गई और अजमेर जिले सहित सभी जिलों के सदस्यों को सोसायटी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई जिसे सोशल मीडिया द्वारा भी प्रचारित किया गया। साथ ही इस पत्र के माध्यम से सोसायटी सदस्यों से दिनांक 18.11.2025 तक मतदाता सूची से संबंधित आपत्तीयां भी मांगी गई।

इस आदेश की सूचना विभिन्न समाचार माध्यमों से अजमेर जिले सहित राजस्थान के सभी सोसायटी सदस्यों को सार्वजनिक की गई, परंतु उपरोक्त 11630 सदस्यों सहित किसी भी व्यक्ति ने आज तक भी इस आदेश पर आपत्ति दर्ज़ नहीं करवाई।

परंतु श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक चुनाव/2025/07 दिनांक 06.10.2025 द्वारा सोसायटी के तत्कालीन अजमेर जिले के मतदाता सूची से बाहर किए गए 11630 मतदाताओं को पुनः मतदाता सूची में शामिल करते हुए 74177 सदस्यों की मतदाता सूची प्रकाशित की है, जिसमें तत्कालीन अजमेर जिले के उपरोक्त 11630 मतदाताओं को पुनः मतदाता सूची में शामिल करने के बारे में कोई कारण अथवा नियमों का उल्लेख नहीं किया है। चुनाव अधिकारी द्वारा प्रकाशित इस मतदाता सूची में ऐसे हजारों व्यक्तियों के नाम भी शामिल किए गए हैं जिनको अभी तक सोसायटी की सदस्यता भी प्राप्त नहीं हैं।

सोसायटी सदस्यता और मतदान का अधिकार प्रदान करने का कार्य सोसायटी प्रशासन का है और एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जबकि

चुनाव अधिकारी को केवल एक चुनाव करवाने हेतु कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है और सोसायटी प्रशासन चुनाव अधिकारी के किसी भी अनियमित कार्य को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है।

---

27 अक्टूबर 2025 तक जो सदस्यता फार्म सोसायटी केंद्रीय कार्यालय जयपुर में प्राप्त हुए थे, उनकी सदस्यता की पात्रता की जांच हेतु एक कमेटी का गठन करके उपलब्ध फार्म एवं अन्य डाक्यूमेंट्स उपलब्ध करवाए गए थे, इस कमेटी से एक अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें काफ़ी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई है और उनका समाधान आवश्यक है। कमेटी ने सूचित किया है कि बहुत से सदस्यता फार्मों के साथ जाती प्रमाण पत्र नहीं है, कुछ फार्मों के साथ आवेदकों का फोटो नहीं है और कुछ फार्मों पर आवेदकों के हस्ताक्षर भी नहीं है, कुछ फार्मों पर सदस्यता शुल्क राशि रसीद का विवरण दर्ज है, परंतु रसीद सोसायटी की अधिकारिक रसीद है या नहीं केवल मूल रसीद बुक एवं केश बुक से सत्यापित किया जा सकता है। श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध पश्चात् भी उपरोक्त रसीद बुक उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। अतः सदस्यता शुल्क को नियमानुसार प्रमाणित करना संभव नहीं है। कुछ अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के सदस्यता फार्म एवं सदस्यता शुल्क भी कुछ व्यक्तियों ने जमा करवाएं है, जबकि उनसे सदस्यता शुल्क एवं सदस्यता फार्म प्राप्त करना अवैध है। एक ही व्यक्ति ने लाखों रुपए सदस्यता शुल्क नक़द में बैंक में जमा करवा कर सदस्यता फार्म जमा करवाएं है, जिसके लिए वो व्यक्ति अधिकृत नहीं है। ऐसी धनराशि को सोसायटी की केश बुक में बिना जांच किए शामिल करना संभव नहीं है। एक व्यक्ति ने लाखों रुपए अपने बैंक अकाउंट से सोसायटी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं जिसका जिक्र सदस्यता फार्म में हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे सैंकड़ों व्यक्तियों का सदस्यता शुल्क जमा करवाने हेतु अधिकृत नहीं है, अतः सोसायटी केश बुक में उक्त धनराशि को समायोजित करने से पूर्व जांच आवश्यक है।

कुछ सदस्यता फार्मों के साथ अवैध रसीद बुक भी प्राप्त हुई है, और उस रसीद बुक पर अनाधिकृत व्यक्ति ने कई व्यक्तियों से सदस्यता शुल्क भी वसूला है। यह गैर कानूनी कार्य है, परंतु श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर भी यह सूचना प्रदान नहीं की जा रही है कि उपरोक्त रसीद बुक उनके द्वारा जारी की गई है या सोसायटी कार्यालय से चोरी हुई है।

अतः इस पत्र के माध्यम से श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि तत्कालीन अजमेर जिले के उपरोक्त 11630 मतदाताओं को पुनः मतदाता सूची में शामिल करने हेतु प्राप्त सभी आवेदनों एवं परिवेदनाओं, उन पर लिए गए निर्णयों और चुनाव अधिकारी को इस संदर्भ में प्रदत्त अधिकारों की प्रति दिनांक 23.11.2025 अपराह्न 4 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाएं जिससे कि सोसायटी प्रशासन द्वारा उचित स्तर पर विचार किया जा सके और आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जा सके।

चुनाव अधिकारी द्वारा उपरोक्त प्रकाशित मतदाता सूची में हजारों ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो कि न तो सोसायटी के सदस्य हैं और ना ही सोसायटी सदस्य बनने की पात्रता रखते हैं , अतः इस पत्र के माध्यम से श्री जेपी विमल, चुनाव अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों को मतदाता सूची में शामिल करने हेतु उनके पास उपलब्ध सभी दस्तावेजों मय नियमों के अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 23.11.2025 अपराह्न 4 बजे तक उपलब्ध करवाएं जिससे कि उपरोक्त दस्तावेजों पर

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com
सोशल मीडिया से जुड़े
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.)	बनवारी लाल बैरवा	दयानन्द सक्करवाल	जी.एल. वर्मा
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	कोषाध्यक्ष	महासचिव
मो. 9414308305	मो. 9001195384	मो. 9634418411	मो. 9829688869

सोसायटी प्रशासन द्वारा उचित स्तर पर नियमानुसार उचित निर्णय किया जा सके।

--

इस पत्र के माध्यम से सोसायटी की पूर्व एवं वर्तमान में सदस्यता सूची एवं मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से अनुरोध किया जाता है कि वो सभी व्यक्ति जिनके नाम डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित 59199 मतदाता सूची में नहीं है, अपने नाम मतदाता सूची में पुनः जुड़वाने हेतु संबंधित सूचनाएं एवं दस्तावेज दिनांक 27.11.2025 को अपराह्न 4 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिश अथवा ईमेल आईडी dramdkr@gmail.com पर ईमेल द्वारा भिजवा सकते हैं जिससे कि सोसायटी प्रशासन द्वारा उचित स्तर पर विचार कर नियमानुसार निर्णय किया जा सके।

--

श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष को इस पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि उनसे संबंधित सभी सूचनाएं दिनांक 23.11.2025 को अपराह्न 4 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाएं जिससे कि सदस्यता फार्मों की समुचित जांच हो सके और उनको सदस्यता सूची एवं मतदाता सूची में शामिल करने हेतु उचित स्तर पर फैसला हो सके।

--

शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान
13-14, झालाना डूँगरी, जयपुर-302004 फोन : 0141-2711660, पंजीयन संख्या 290/80-81
E-mail :- dramdkr@gmail.com Website : www.dramdkrsociety.com
सोशल मीडिया से जुडे
dr.amws
@DrAMWS2022
@bhimchannel22
डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी

जसवन्त सम्पतराम IPS (Retd.) अध्यक्ष मो. 9414308305
बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मो. 9001195384
दयानन्द सक्करवाल कोषाध्यक्ष मो. 9634418411
जी.एल. वर्मा महासचिव मो. 9829688869

इस पत्र के माध्यम से सभी व्यक्तियों को उनसे संबंधित जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदान करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है, अगर निर्धारित समय पर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि उन्हें इस विषय में कुछ नहीं कहना है और सोसायटी प्रशासन द्वारा उचित स्तर पर सभी निर्णय कर लिये जाएंगे।

यह पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(जी एल वर्मा)
महासचिव
9829688869

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. रजिस्ट्रार संस्थाएं, टोंक रोड, जयपुर ।
2. श्री जेपी विमल, आइएएस (सेनि), सोसायटी चुनाव अधिकारी, जयपुर।
3. श्री दयानंद सक्करवाल, कोषाध्यक्ष, डॉ अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त सोसायटी सदस्य (सोशल मीडिया, वेबसाइट एवं सूचना पट्ट द्वारा) |

महासचिव